विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन के स्रोतों का विकास करने और इसके वितरण (एफ एस डी और डी) तथा उपस्कर निर्माण (ईएम) के क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना

1. उद्देश्य और कार्य-क्षेत्र :

इस योजना के अधीन विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर विनिर्माण प्रतिष्ठानों को स्थापित करने / उनका विस्तार करने और विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला / तेल / गैस जैसे ईंधन की आपूर्ति के स्रोतों का विस्तार करने और इनका वितरण (रेल तंत्र/गैस पाइपलाइन आदि को जरिए) करने के लिए वि त्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

2. पात्र एंटिटी :

सरकारी क्षेत्र :

(क) प्रकटन की उपलब्धता

(ख) पीएफसी द्वारा चूककर्ता घोषित न किया गया हो

(ग) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों का विद्यमान चूककर्ता न हो

(घ) * संबंधित वित्त वर्ष का न्यूनतम आर ओ ई **12** प्रतिशत हो (अर्थात आसन्न पूर्ववर्ती वित्त वर्ष से पूर्व का वित्त वर्ष, जैसे कि **2009-10** के लिए संबंधित वित्त वर्ष **2011-12** होगा।)

* एसपीवी रूट के माध्यम से विक्षिप्त की जा रही परि योजनाओं के मामले में लागू नहीं।

प्राइवेट क्षेत्र :

(i) पीएफसी से वित्तीय सहायता चाहने वाली प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटी को पीएफसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता संबंधी मापदंडों को पूरा करना होगा, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ मोटे तौर पर निम्नलिखित मापदंड शामिल होंगे-

(क) निबल मूल्य पर प्राप्ति

(ख) निबल मूल्य

(ग) डी / ई अनुपात

(घ) डी एस सी आर

(ङ) रोकड़ प्रवाह

(च) वित्तीय संस्थाओं / बैंकों के साथ ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिट स्टेंडिंग

(छ) प्रमोटर - कार्यनिष्पादन और पृष्ठभूमि

(ज) ईक्विटी लाने की क्षमता

(झ) ऋण जुटाने की योग्यता

(ञ) बिक्री की व्यवस्था

(ट) कारोबार की स्थिति

(ठ) विदेशी प्रमोटरों की प्रतिबद्धता

(ii) प्रमोटर वित्तीय संसथाओं / बैंकों के वर्तमान चूककर्ता नहीं होने चाहिए।

3. उधार देने की दर और वित्तीय प्रभार :

उधारकर्ता एंटिटी / प्रमोटर की रेटिंग के अनुसार पीएफसी द्वारा समय-समय पर उधार देने की दर अधिसूचित की जाएगी।

वित्तीय प्रभार, विद्युत परियोजनाओं / योजनाओं के आरटीएल के संबंध में समय-समय पर लागू उधारकर्ताओं द्वारा देय होंगे (जिसमें अपफ्रंट शुल्क और प्रतिबद्धता प्रभार भी शामिल होंगे)।

4. वित्तपोषण की सीमा (परियोजना लागत का प्रतिशत)

	एफ एस डी और डी	ई एम
सरकारी क्षेत्र	**80** प्रतिशत	**80** प्रतिशत
प्राइवेट क्षेत्र	**20** प्रतिशत	* **50** प्रतिशत

* ऐसी परियोजनाओं के मामले में **70** प्रतिशत तक उच्च ऋण पर विचार किया जा सकता है, जिनमें परियोजना की लागत **100** करोड़ रुपए तक हो।

5. अधिकतम वापसी अवधि:

एफ एस डी और डी : **10** वर्ष

ई एम : मुख्य संयंत्र / उपस्कर विनिर्माता = **10** वर्ष

अन्य उपस्कर विनिर्माता = **7** वर्ष

5. प्रतिभूतियां :

(i) राज्य / केंद्र सरकार की गारंटी / बैंक गारंटी / परिसंपत्तियों पर प्रभार

(ii) निलंब (एस्क्रो) लेखा / साख पत्र

पीएफसी मूल्य निरूपण / श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक अतिरिक्त प्रतिभूतियों पर बल दे सकता है **:-**

(i) निगम गारंटी

(ii) प्रमोटरों की वैयक्तिक गारंटी

(iii) प्रमोटरों के शेयरों को गिरवी रखना

(iv) समूह / अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर प्रभार

(v) निगम के पक्ष में सभी परियोजनाओं की संविदाओं, दस्तावेजों, बीमा पालिसियों का समनुदेशन

(vi) न्यास और प्रतिधारण तंत्र स्थापित करना, ताकि परियोजनाओं की बिक्री से प्राप्त सभी आय का उपयोग पीएफसी द्वारा तय किए गए तरीके से किया जा सके।

(vii) राजस्व पर प्रभार

(viii) निगम को स्वीकार्य कोई अन्य प्रतिभूति